रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072021-228447
CG-DL-E-23072021-228447

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 406] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2021/श्रावण 1, 1943
No. 406] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2021/SHRAVANA 1, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2021

सं. 61/2021-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 504(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 30, 30क, 41, 41क, 53, 54, 56, धारा 98 की उप-धारा (3) और धारा 158 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्द्वारा, सी कार्गो मैनिफेस्ट एंड ट्रांसशिपमेंट रेग्यूलेशन्स, 2018 में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमन करता है, यथा: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और आरम्भ - (1) इन विनियमनों को सी कार्गो मेनीफेस्ट एंड ट्रांसशिपमेंट (पंचम अमेंडमेंट) रेग्यूलेशन्स, 2018 कहा जाएगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. सी कार्गो मेनीफेस्ट एंड ट्रांसशिपमेंट रेग्यूलेशन्स, 2018 (एतत्पश्चात उक्त विनियमन से संदर्भित किया गया है) में, विनियमन 3 में,-

(क) उप-विनियमन (2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(2) जहां कि सीमाशुल्क के क्षेत्राधिकारी आयुक्त फॉर्म-I में आवेदक द्वारा प्रदान की गयी सूचना से स्वयं को संतुष्ट करके इन विनियमनों के तहत कारोबार में लेन-देन करने के लिए ऐसे आवेदक को पंजीकृत करेगा।";

(ख)) उप-विनियमन (4) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(4) विनियमन 3क या विनियमन 11 के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार जब तक कि पंजीकरण को रद्द न किया गया हो पंजीकरण वैध रहेगा:

बशर्ते कि अधिकृत कैरियर का पंजीकरण एक वर्ष की अवधि के लिए निष्क्रिय पाया जाता हो तो उसे वैध नहीं समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण - शब्द 'निष्क्रिय' का संदर्भ एक ऐसे अधिकृत कैरियर से लिया जाएगा, जिसने एक वर्ष की अवधि के दौरान सीमाशुल्क संबंधी कोई लेन-देन न किया हो, जिसमें वह अवधि शामिल नहीं होगी जिस दौरान विनियमन 11 के अंतर्गत उसका पंजीकरण निलंबित रहा हो।”;

(ग) उप-विनियमन (5) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(5) उप-विनियमन (4) के अंतर्गत उनके पंजीकरण को अवैध समझ लिए जाने के उपरांत उप-विनियमन (1क) के प्रावधानों के अंतर्गत, सीमाशुल्क के क्षेत्राधिकारी आयुक्त अधिकृत कैरियर द्वारा फॉर्म- Iक में आवेदन करने पर, स्वयं को यह समाधान होने के उपरांत कि आवेदक उप-विनियमन 1क के अंतर्गत पंजीकरण की मंजूरी के लिए अन्यथा पात्र है, आवेदन की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर समाप्ति की तिथि से पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकता है।”

3. उक्त विनियमन में, विनियमन 3 के पश्चात निम्नलिखित विनियमन को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“3क. पंजीकरण को वापस करना- (1) एक अधिकृत कैरियर विनियमन 3 के अतंर्गत जारी किए गए पंजीकरण को सीमाशुल्क के क्षेत्राधिकारी आयुक्त को लिखित अनुरोध करके पंजीकरण वापस कर सकता है।

(2) उप-विनियमन (1) के अंतर्गत लिखित अनुरोध की प्राप्ति पर सीमाशुल्क के क्षेत्रीय आयुक्त पंजीकरण को निरस्त कर सकते हैं यदि,–

(क) अधिकृत कैरियर ने अधिनियम, नियमों या विनियमों के तहत बनाए गए किसी भी प्रावधान के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार देय सभी शुल्कों का भुगतान कर दिया है; और

(ख) अधिकृत कैरियर के खिलाफ किसी भी अधिनियम, नियमों या विनियमों के तहत बनाए गए किसी भी प्रावधान के अंतर्गत कोई भी कार्यवाही लंबित नहीं है।”;

4. उक्त विनियमन में, विनियमन 11 में, उप-विनियमन (2) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(2) सीमाशुल्क का आयुक्त विनियमन 11 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अपने क्षेत्राधिकार में आदेश जारी करके ऐसे किसी भी अधिकृत कैरियर के कार्यों को निम्नलिखित किसी भी आधार पर निरस्त कर सकता है, जिसका कारण भी लिखित में दर्ज किया जाएगा, यथा: —

(क) उसके क्षेत्राधिकार या अन्यत्र कहीं भी इन विनियमनों के किसी भी प्रावधान के अनुसरण में चूक;

(ख) इन विनियमनों के अंतर्गत उसके द्वारा निष्पादित बॉण्ड की किसी भी शर्त के अनुसरण में चूक;

(ग) उसके क्षेत्राधिकार में कोई भी दुर्व्यवहार जो कि सीमाशुल्क के आयुक्त के अनुसार सीमाशुल्क स्टेशन में किसी भी कारोबार संबंधी लेन-देन के लिए उचित न हो;

(घ) दिवालिया घोषित किया गया हो;

(ङ) विकृत-चित्तता;

(च) सक्षम न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध जिसमें नैतिक अधमता या अन्यथा शामिल हो के लिए दोषी ठहराना।”

5. उक्त विनियमन में, विनियमन 12 में, उप-विनियमन (5) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(5) जांच के समापन पर, सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, जैसा भी मामला हो, जांच की रिपोर्ट तैयार करेगा और उस पर अपने निष्कर्षों को दर्ज करने के बाद, उप-विनियम (1) के तहत नोटिस जारी करने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।"

6. फॉर्म-I के पश्चात, निम्नलिखित फॉर्म को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"फॉर्म – I ए

[विनियमन 3(5) देखें]

अधिकृत कैरियर द्वारा पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

सीमाशुल्क के आयुक्त,

कस्टम्स हाउस

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी
1.	अधिकृत कैरियर का नाम पैन के विवरण सहित	
2.	अधिकृत कैरियर का पूरा पता	
3.	जारी करने वाला कस्टम्स हाउस	
4.	क्या आवेदक द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम, नियमों या विनियमों के अंतर्गत बनाए गए प्रावधानों के तहत केन्द्रीय सरकार को देय सभी शुल्कों का भुगतान किया गया है? (हां/नहीं)	
5.	क्या विनियमन 8 के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए बॉण्ड और रक्षा शुल्क अभी भी वैध है? (हां/नहीं)	
6.	यदि आवेदक एक फर्म या कंपनी है तो क्या ऐसे भागीदार/भागीदारों या निदेशक/निदेशकों जो कि वास्तविक रूप से अधिकृत कैरियर के कार्य में संलग्न हैं, के नाम और परमानेंट अकाउन्ट नम्बर्स (पैन) में कोई परिवर्तन है? (हां/नहीं) यदि हां, तो इसका ब्यौरा दें।	(हां/नहीं)
7.	नवीनीकरण का कारण	
	उद्घोषणा:	
(क)	मुझे अंग्रेजी/स्थानीय भाषा(.........)/हिन्दी की जानकारी है।	
(ख)	जिस फर्म या कंपनी ने अधोहस्ताक्षरी को नियुक्त किया है, उसने पहले सी कार्गो मैनिफेस्ट ट्रांसशिपमेंट रेग्यूलेशन, 2018 के तहत एक अधिकृत कैरियर पंजीकरण किया है और रद्द या निलंबित नहीं किया है।	
(ग)	आवेदक/आवेदक द्वारा नियोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति के विरुद्ध सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों का विवरण	

मैं/हम एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने सी कार्गो मैनिफेस्ट ट्रांसशिपमेंट रेग्यूलेशन्स, 2018 पढ़ लिया है और इसका पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं।

दिनांक : **आवेदक के हस्ताक्षर ".**

[फा. सं. 450/58/2015-सीमाशुल्क IV (पार्ट)]

मनीष कुमार चौधरी, अवर सचिव

नोटः प्रधान विनियमन सं. सा.का.नि. 448(अ) दिनाँक 11 मई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II , खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 56/2021-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनाँक 30 जून, 2021, जिसे सा.का.नि. 457 (अ), दिनाँक 30 जून, 2021 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2021

No. 61/2021-Customs (N.T.)

G.S.R. 504(E).—In exercise of the powers conferred by section 157, read with sections 30, 30A, 41, 41A, 53, 54, 56, sub-section (3) of section 98 and sub-section (2) of section 158 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations, 2018, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Sea Cargo Manifest and Transhipment (Fifth Amendment) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations, 2018 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3,-

(a) for sub-regulation (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

"(2) Where the Jurisdictional Commissioner of Customs is satisfied with the information provided by the applicant in the Form-I, he shall register such applicant for transacting business under these regulations";

(b) for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

"(4) The registration shall be valid unless and until revoked in terms of the provisions under regulation 3A or regulation 11:

Provided that the registration of the authorised carrier shall be deemed invalid if the authorised carrier is found to be inactive for a period of one year.

Explanation.- The term 'inactive' refers to an authorised carrier who does not transact any business pertaining to Customs during a period of one year, excluding the period for which registration has been suspended under regulation 11.";

(c) after sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

"(5) Subject to the provisions of sub- regulation (1A), the Jurisdictional Commissioner of Customs may, on an application made by the authorised carrier in Form IA, after the registration has been deemed invalid under sub regulation (4), renew the registration from the date of expiration, after satisfying himself that the

applicant is otherwise eligible for registration under this regulation within one month of the date of receipt of the application".

3. In the said regulations, after regulation 3, the following regulation shall be inserted, namely:-

"3A. Surrender of registration.- (1) An authorised carrier may surrender his registration issued under regulation 3 through a written request to the Jurisdictional Commissioner of Customs.

(2) On receipt of the request under sub-regulation (1), the Jurisdictional Commissioner of Customs may revoke the registration, if, -

(a) the authorised carrier has paid all dues payable to the Central Government under the provisions of the Act, rules or regulations made thereunder; and

(b) no proceedings are pending against the authorised carrier under the Act, rules or regulations made thereunder".

4. In the said regulations, in regulation 11, for sub-regulation (2), the following sub- regulation shall be substituted, namely: -

" (2) The Commissioner of Customs may, subject to the provisions of regulation 12, suspend the operations of such authorised carrier in his jurisdiction by an order, for reason to be recorded in writing, on any of the following grounds, namely: —

(a) failure to comply with any of the provisions of these regulations, within his jurisdiction or anywhere else;

(b) failure to comply with any of the conditions of the bond executed by him under these regulations;

(c) any misconduct, within his jurisdiction, which in the opinion of the Commissioner of Customs renders him unfit to transact any business in the Customs Station;

(d) adjudicated as an insolvent;

(e) of unsound mind;

(f) convicted by a competent court for an offence involving moral turpitude or otherwise".

5. In the said regulations, in regulation 12, for sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

"(5) At the conclusion of the inquiry, the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, shall prepare the report of inquiry and after recording his findings thereon, submit the report within a period of ninety days from the date of issue of a notice under sub-regulation (1)".

6. In the said regulations, after Form I, the following Form shall be inserted namely :-

"FORM - IA

[See regulation 3 (5)]

Application by authorised carrier to renew registration

To,

The Commissioner of Customs

Custom House

Sl. No.	Particulars	Remarks
1.	Name of the authorised carrier with details of PAN	
2.	Full address of the authorised carrier	
3.	Custom House of issue	

4.	Has the applicant paid all dues payable to the Central Government under the provisions of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), rules or regulations made thereunder? (Yes/No)	
5.	Whether bond and furnishing of security executed, if applicable is still active? (Yes/No)	
6.	Is there a change in the name and Permanent Account Numbers (PAN) of partner/partners or director/directors who will actually be engaged in the work as authorised carrier, in case the applicant is a firm or a company? If Yes, Provide the details:	(Yes/No)
7.	Reason for renewal	
	Declaration:	
(a)	I have working knowledge of English/local language (………)/Hindi.	
(b)	The firm or company by whom the undersigned is employed have earlier held an authorised carrier registration under the Sea Cargo Manifest Transhipment Regulations, 2018 and not cancelled or suspended.	
(c)	The details of cases booked under the provisions of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) against the applicant/the person proposed to be employed by the applicant	

I/We hereby affirm that I/we have read the Sea Cargo Manifest Transhipment Regulations, 2018 and agree to abide by them.

Date : **Signature of applicant".**

[F. No. 450/58/2015- Cus IV(Pt)]

MANISH KUMAR CHOUDHARY, Under Secy.

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (i) vide number G.S.R. 448(E), dated the 11th May, 2018 and were last amended vide notification No. 56/2021-Customs (N.T), dated the 30th June, 2021 vide number G.S.R. 457 (E), dated the. 30th June, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.07.23 22:47:05 +05'30'